जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751-244228
(कार्यालय)
ई-मेल : E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website
:http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2023/10260 दिनांक : 20-12-2023

//स्मरण पत्र//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषयः- परिनियम 28/17 के अंतर्गत चयनित स्टाफ का कार्यपरिषद् से अनुमोदन/कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

संदर्भः- पत्र क्रमांक 10176 दिनांक 10.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम 28/17 के अंतर्गत नियुक्त चयनित स्टाफ का चयन दिनांक से छः माह के अन्तर्गत चयन समिति की अनुशंसाओं का कार्यपरिषद् से सूचनार्थ/अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है। किन्तु महाविद्यालय द्वारा 28/17 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया सम्पन्न कराकर नियुक्त चयन समिति की अनुशंसाओं/नियुक्ति को सूचनार्थ/अनुमोदन कार्यपरिषद् से कराये जाने में काफी विलम्ब किया जाता है एवं कई महाविद्यालयों द्वारा प्रकरण कार्यपरिषद् के सूचनार्थ/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ही नहीं किये जाते हैं।

अतः उक्त संबंध में समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि, वे परिनियम 28/17 के अंतर्गत चयनित स्टाफ का कार्यपरिषद् का अनुमोदन/सूचनार्थ छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से करावें।

यदि महाविद्यालय द्वारा चयनित स्टाफ का सूचनार्थ/अनुमोदन छः माह के भीतर नहीं कराया जाता है। यदि महाविद्यालयों द्वारा पूर्व में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के लिये सूचनार्थ/अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये है इस संबंध में सम्बद्धता शाखा में सप्रमाण दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक अनिवार्य रूप से पुनः प्रस्तुत करें।

नोटः- चयन संबंधी समस्त कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक एफ/सम्बद्धता/2023/ 9744 दिनांक 31.07.2023 के साथ संलग्न परिनियम 28 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निदेशक,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. श्री संजय बरथरिया, प्रभारी, आई. टी. सेल. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

निदेशक,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्